राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग

NCBC/08/12/164-B/2019-RW

एमएमटीसी लिमिटेड के साथ दिनांक 24.06.2021 की सुनवाई का कार्यवृत

बैठक में उपस्थित सदस्य एवं अधिकारिगण:-

1. श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग
2. श्री राजेश कुमार, सलाहकार, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग
3. श्री रामायण यादव, सलाहकार, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग
4. श्री राजीव रंजन सिन्हा, निदेशक, एमएमटीसी लिमिटेड
5. श्री संजय कौल, मुख्य महाप्रबंधक, एमएमटीसी लिमिटेड
6. श्री सुधीर कपूर, महाप्रबंधक, एमएमटीसी लिमिटेड
7. श्री केनेथ के. टोपनो, प्रबंधक, एमएमटीसी लिमिटेड

सुनवाई के दौरान महत्वपूर्ण बिन्दुः-

1. श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा पूछा गया कि ओबीसी के लाईसन ऑफिसर का नाम और कैटेगरी क्या है तथा क्या वह इस सुनवाई में उपस्थित हैं? निदेशक एमएमटीसी लिमिटेड द्वारा बताया गया कि ओबीसी के लाईसन ऑफिसर नहीं आयें है तथा ओबीसी के लाईसन ऑफिसर का नाम श्री विक्रमजीत सिंह है और वह ओबीसी वर्ग से हैं तथा मुख्य प्रबंधक स्तर के अधिकारी हैं।
2. माननीय सदस्य महोदय द्वारा पूछा गया कि एमएमटीसी में हायरारिटी का क्या मतलब है? जिसके जवाब में निदेशक एमएमटीसी ने बताया कि हमारे यहां हायरारिटी के तहत उच्च स्तर से निचले स्तर के नियम का पालन किया जाता है जैसे सबसे ऊपर हमारे माननीय अध्यक्ष होते हैं फिर निदेशक स्तर के अधिकारी आते हैं तथा उसके बाद मुख्य महाप्रबंधक, प्रबंधक और ऐसे ही क्रम में कैडर स्टाफ चलता है।

3. माननीय सदस्य महोदय द्वारा पूछा गया कि एमएमटीसी में निदेशक, मुख्य महाप्रबंधक और प्रबंधक स्तर के अधिकारी की संख्या कितनी है तथा उसमें से ओबीसी वर्ग के कितने अधिकारी हैं? जिसके जवाब में निदेशक एमएमटीसी ने बताया कि हमारे यहां 3 निदेशक, 11 मुख्य महाप्रबंधक और 24 महाप्रबंधक हैं। निदेशक स्तर के अधिकारियों में कोई भी अधिकारी ओबीसी वर्ग से संबंधित नहीं है। मुख्य महाप्रबंधक और महाप्रबंधक स्तर के अधिकारियों में ओबीसी वर्ग के प्रतिनिधित्व का विवरण अभी हमारे पास उपलब्ध नहीं है। हम इस विवरण को आयोग को उपलब्ध करायेंगे।
4. माननीय सदस्य महोदय द्वारा पूछा गया कि शार्टफॉल और बैकलॉग में क्या अंतर होता है? जिसके जवाब में निदेशक एमएमटीसी ने बताया कि शार्टफॉल जैसे कोई रिक्रूटमेंट एक्सरसाईज कंपनी ने किया, एक्सरसाईज करने में अगर हमे एससी/एसटी/ओबीसी और दिव्यांगजन का यदि कोई कैंडिडेट नहीं मिला तो वह उस साल का शार्टफॉल होता है। अगर वह शार्टफॉल कुछ वर्षों तक लगातार रहता है तो उसे बैकलॉग मान लेते है। महोदय एमएमटीसी में शार्टफॉल वर्ष 1997 से शुरु हुआ जो लगभग 7 के आस पास था वर्तमान समय में एमएमटीसी में शार्टफॉल की संख्या 9 है।
5. माननीय सदस्य महोदय द्वारा पूछा गया कि एमएमटीसी में 31 मार्च 2019 को कुल कितना स्टाफ स्ट्रैंथ था तथा उनमें से ओबीसी वर्ग के अधिकारियों/कर्मचारियों की कुल कितनी संख्या थी? जिसके जवाब में निदेशक एमएमटीसी ने बताया कि महोदय 31 मार्च 2019 को एमएमटीसी में अधिकारियों की संख्या 388 थीं जिसमें से 36 ओबीसी वर्ग से संबंधित थें जिनका कुल प्रतिशत 9.54 था वहीं स्टाफ कैडर में कुल 562 कर्मचारी थें जिसमें से 65 ओबीसी वर्ग से संबंधित थें जिनका कुल प्रतिशत 11.5 था।
6. माननीय आयोग द्वारा पूछा गया कि एमएमटीसी ने जो सिलेक्शन कमेटी का विवरण दिया है उसमें श्री राजेश पासवान को ओबीसी वर्ग का सदस्य बताया

लोक० आ० आ० मिश्रा,

गया है कृपया इसको माननीय आयोग को शपथ-पत्र पर स्पष्टीकरण लिखकर दिया जाये।

7. माननीय सदस्य महोदय द्वारा पूछा गया कि क्या मंत्रालय द्वारा एमएमटीसी का रोस्टर रजिस्टर चैक किया गया है, जिसके जवाब में प्रबंधक एमएमटीसी ने बताया कि रोस्टर को वर्ष 2018 में संयुक्त निदेशक (रिटायर) द्वारा चैक कराया था। आयोग द्वारा यह जानकारी शपथ-पत्र पर उपलब्ध कराने के लिये कहा गया।
8. माननीय सदस्य महोदय द्वारा कहा गया कि एमएमटीसी में वर्ष 1997 से लेकर 2019 तक नियुक्त किये गये कर्मचारियों/अधिकारियों की पदवार/वर्षवार/वर्गवार विवरण दीजिये।
9. माननीय आयोग द्वारा पूछा गया कि एमएमटीसी द्वारा 26 पदों के संदर्भ में वर्ष 2018 में विज्ञापन निकाला गया तथा नियुक्ति प्रक्रिया वर्ष 2020 में पूरी क्यों नहीं की गयी जिससे नियुक्ति प्रक्रिया में लगभग डेढ़ वर्षों का विलम्ब हुआ। इसका पूरा विवरण आयोग को उपलब्ध कराया जाये।

सुनवाई सम्पन्न।

(श्री राजीव रंजन सिन्हा)
निदेशक, एमएमटीसी लिमिटेड

(श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल)
माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग